>

Title: Problem arising out of reduction of commission for Small Scale Savings agents.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लगभग 5 लाख लघु बचत एजेंटों के मामले को लाना चाहता हूं। केन्द्र सरकार ने देश के नागरिकों से छोटी छोटी बचत के माध्यम से एक भारी भरकम राशि को इकट्ठा करने की योजना बनाई है और इसी का एक मुख्य कारण रहा है कि विश्व जब आर्थिक मंदी से गुजर रहा था तो भारत पर उसका केवल आंशिक असर ही रहा। ऐसी विभिन्न एजेंसियों को 1-10-1960 में युक्तिकरण करने के उपरांत ग्रामीण शहरी क्षेत्र में एक स्टैंडर्डाइज्ड एजेंसी सिस्टम को बनाया गया। इस समय यह एजेंसी किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, टाइम डिपोजिट अकाउंट, मंथली इंकम स्कीम, सीनियर सिटीजन अकाउंट में कार्यरत है। ये सभी योजनाएं एजेंटों व उनके सहयोगियों द्वारा कमीशन के आधार पर चलाई जा रही थी और उन्हें 1981 से पूर्व 2.5 प्रतिशत और 1981 के बाद 2 प्रतिशत कर दिया गया था। इसके उपरांत 1988 में यह कमीशन घटाकर एक प्रतिशत कर दिया गया। सरकार द्वारा गत वर्ष श्रीमती श्यामला गोपीनाथ कमेटी रिपोर्ट की अनुशंसा के माध्यम से तृतीय वित्त कमीशन को स्माल सेविंग एजेंसी को दिए जाने वाला कमीशन 1 प्रतिशत से घटाकर आधा प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है औरâ€¦(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You make specific point.

श्री वीरेन्द्र कश्यप: पीपीएफ व एससीएसएस पर तो कमीशन बिल्कुल समाप्त किया जा चुका है। इस निर्णय के अनुसार...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: What do you want? You tell that. Do not quote all the reports. It is not a report reading place.

श्री वीरेन्द्र कश्यप: इस निर्णय से एसएएस, पीपीएफ तथा महिला प्रधान बचत योजना के 5 लाख एजेंट प्रभावित होने जा रहे हैं और जहां इससे ये एजेंट और सहयोगी कार्यकर्ताओं की रोजी-रोटी छिन जाएगी और वहीं महिला प्रधान बचत योजना यानी जिस योजना को पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1 अप्रैल 1972 को इसलिए लागू किया था कि घरेलू महिलाओं को बचत के बारे में शिक्षित किया जाए तथा देश में आर्थिक ढ़ांचे को और ताकतवर बनाया जा सके, इस प्रकार के निर्णय से महिला सशक्तीकरण को भी भारी नुकसान होगा।...(व्यवधान) इसलिए मेरा वित्त मंत्री से आग्रह है कि रिपोर्ट को लागू न करके इस पर पुनर्विचार किया जाए।

सभापति महोदय : श्री वीरेन्द्र कश्यप द्वारा उठाये गये विÂषय के साथ श्री राजेन्द्र अग्रवाल और श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को भी सम्बद्ध किया जाए।